4311
25.2.20

बिहार सरकार

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

ज्ञाप संख्या–3/स्टे. 2–12/2016......................./ पटना, दिनांक–......................../2020

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं ह.),
बिहार, पटना।

विषयः– मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के अंतर्गत औरंगाबाद जिला मुख्यालय अंतर्गत मौजा–औरंगाबाद, थाना नं0–560, खाता सं0–83, खेसरा सं0–409, रकवा– 0.3644 एकड़ भूमि किस्म–गैरमजरूआ परती जमीन पर खेल भवन–सह–व्यायामशाला निर्माण हेतु बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना द्वारा तकनीकी रूप से अनुमोदित ₹ 6,61,00,000/– (छः करोड़ एकसठ लाख रुपये) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

2. राशि का विकलन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 में मांग संख्या–03 के अधीन बजट शीर्ष "4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–60–अन्य भवन–051–निर्माण–0106–स्टेडियम एवं खेल संरचना", विपत्र कोड–03–4059600510106 के अंतर्गत विषय शीर्ष 5301–मुख्य निर्माण कार्य से होगा।

3. इस आय–व्ययक के नियंत्री पदाधिकारी, प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना है, जिनके द्वारा आवंटन निर्गत किया जायेगा।

4. राशि की निकासी भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना से की जायेगी एवं कार्यान्वयन हेतु राशि बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को उनके मांग के आधार पर राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

5. उक्त निर्माण कार्य का कार्यकारी अभिकरण बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना होगा। जिनके द्वारा अनुमोदित मॉडल नक्शा एवं प्राक्कलन के अनुसार गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न कराया जायेगा एवं कार्यान्वयन प्रतिवेदन एवं व्यय विवरणी कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना एवं भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

6. योजना के प्रभावी अनुश्रवण, ससमय कार्य पूर्ण करने एवं कार्य की गुणवता सुनिश्चित करने के लिए जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के स्तर पर समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें कार्यकारी अभिकरण अर्थात बिहार राज्य भवन निर्माण निगम के जिला स्तर के पदाधिकारी जिला पदाधिकारी द्वारा नामित वरीय उप समाहर्त्ता, उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा, औरंगाबाद एवं अनुमंडल पदाधिकारी, औरंगाबाद शामिल होंगे। यह समिति योजना का सघन पर्यवेक्षण करेगी और समय–समय पर इस विभाग को प्रतिवेदन उपलब्ध करायेगी। समिति योजना के कार्यान्वयन में अगर कोई कठिनाई आती है तो उसका समाधान करेगी या इस विभाग/बिहार राज्य भवन निर्माण निगम के संज्ञान में भी लायेगी। योजना का कार्य पूर्ण होने पर बिहार राज्य भवन निर्माण निगम के संबंधित पदाधिकारी उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा, औरंगाबाद को विधिवत हस्तगत करायेगें।

योजना के विस्तृत प्राक्कलन एवं नक्शा की प्रति उक्त समिति के सभी सदस्यों को इस उद्देश्य से भेजी जा रही है कि पर्यवेक्षण के दौरान योजना का कार्य प्राक्कलन/मॉडल नक्शा के अनुसार हो रहा है या नहीं इसकी भी जांच की जाएगी। उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा, औरंगाबाद को सभी दृष्टिकोण से प्राक्कलन/नक्शा के अनुरूप पूर्ण होने पर ही योजना को हस्तगत करेगें। योजना पूरी होने के एक सप्ताह में बिहार राज्य भवन निर्माण निगम के जिला स्तर के पदाधिकारी इस योजना को उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा, औरंगाबाद को सौंपना सुनिश्चित करेंगे और उसकी सूचना इस विभाग को देंगे।

7. वित विभाग के संकल्प संख्या–3758, दिनांक–31.05.2017 के तहत विभागीय स्थायी वित्त समिति की अनुशंसा एवं विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(तारानन्द महतो वियोगी)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक ..../ पटना, दिनांक ..../2020

प्रतिलिपि– सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक 630/ पटना, दिनांक 19/02/2020

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।